भारत और बिहार में उद्योग

Growth and Share of Industrial Components (in Per cent)

	Growth in Per cent		Real GVA growth in FY23 over FY22	Real GVA growth in FY23 over FY20	Share in total GVA FY23
	H1:FY23	H2:FY23 (Estimated)			
Industry	3.7	4.5	4.1	11.1	30.0
Mining & quarrying	2.2	2.6	2.4	4.4	2.3
Manufacturing	0.1	3.0	1.6	11.0	17.3
Electricity, gas, water supply & other utility services	10.0	7.9	9.0	13.0	2.3
Construction	11.5	7.3	9.1	12.8	8.1
Overall GVA	**9.0**	**4.7**	**6.7**	**9.8**	-

Source: National Statistical Office (NSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI)
Note: Data for FY23 presents the First Advance Estimates

भारतीय उद्योग एवं आर्थिक सर्वेक्षण

परिचय

- उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख स्थान रखता है, जो वित्त वर्ष 2012 और वित्त वर्ष 2011 के दौरान औसतन सकल घरेलू उत्पाद का 31% हिस्सा है और 12.1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है। क्षेत्र की प्रासंगिकता अन्य क्षेत्रों के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंधों के माध्यम से उजागर होती है:
- यह सुनिश्चित करता है कि घरेलू उत्पादन घरेलू मांग को समायोजित कर सकता है और आयात पर निर्भरता कम कर सकता है।
- औद्योगिक विकास का कई गुना प्रभाव पड़ता है।
- औद्योगिक विकास सेवा क्षेत्रों में विकास को गति देता है।
- वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही के लिए उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, औद्योगिक क्षेत्र द्वारा कुल सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) 3.7 प्रतिशत बढ़ा।

औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहन की मांग

1. रूसी-यूक्रेन संघर्ष छिड़ गया और खाद्य तेल, कच्चे तेल, उर्वरक और खाद्यान्न जैसी कई वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई।
2. मांग प्रभावित होने के डर से, उद्योग धीरे-धीरे उच्च उत्पादन लागत का बोझ डाल रहा है, जिसके कारण मुख्य खुदरा मुद्रास्फीति चिपचिपी लेकिन न बढ़ने वाली है। दूसरी ओर, गैर-प्रमुख खुदरा मुद्रास्फीति, जिसमें खाद्य और ऊर्जा घटक शामिल हैं, में गिरावट आ रही है क्योंकि स्थानीय मौसम की चरम सीमाएं कम हो गई हैं और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार के हस्तक्षेप प्रभावी साबित हुए हैं।
3. वित्त वर्ष 2012 के बाद से मजबूत घरेलू परिस्थितियों ने औद्योगिक विकास को मांग प्रोत्साहन प्रदान किया है। इसके अलावा, FY22 का मजबूत निर्यात प्रदर्शन FY23 की पहली छमाही में कुछ हद तक जारी रहा। वर्ष की इस छमाही में सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात वित्त वर्ष 2016 के बाद से सबसे अधिक रहा है।
   - हालाँकि, पहली छमाही में ही प्रदर्शन में गिरावट शुरू हो गई क्योंकि निर्यात की साल-दर-साल (YoY) वृद्धि लगातार उच्च के कारण Q1 से Q2 तक गिर गई। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति और बढ़ती ब्याज दरें।
4. निवेश मांग में वृद्धि औद्योगिक विकास के लिए एक और शक्तिशाली प्रोत्साहन के रूप में उभरी है। यह महामारी-पूर्व वर्षों की तुलना में वर्तमान और पिछले वर्ष में केंद्र सरकार के बढ़े हुए पूंजीगत व्यय के कारण शुरू हुआ है। इस छलांग से निजी निवेश में भी भीड़ आ गई है, जो पहले से ही बढ़ती मांग, निर्यात प्रोत्साहन और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट को मजबूत करने से उत्साहित है।

Private Investment gathers momentum

उद्योग की आपूर्ति प्रतिक्रिया:

- इनपुट लागत का दबाव, आपूर्तिकर्ता डिलीवरी समय में सुधार, मजबूत निर्यात ऑर्डर, और भविष्य के उत्पादन में सहजता का अनुभव हुआ है।

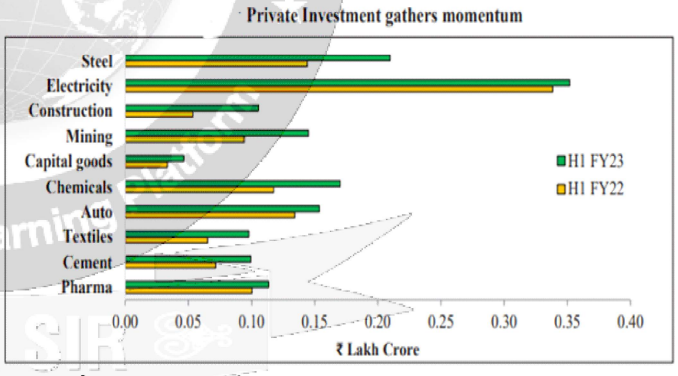

PMI Manufacturing remains in expansionary zone

Source: IHS Markit

Sub-indices of IIP growing at a healthy pace (Apr-Nov)

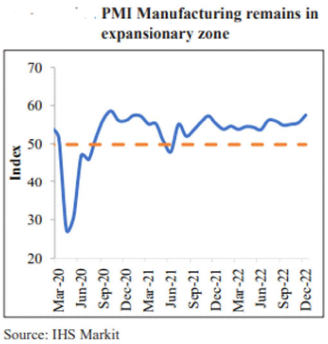

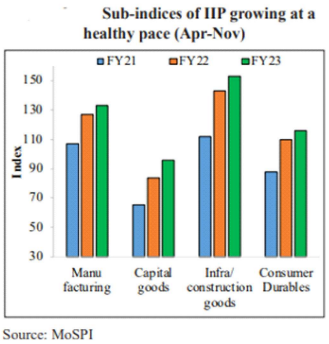

Source: MoSPI

- ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स ने प्रभावशाली प्रदर्शन दर्ज किया है जबकि कपड़ा जैसे क्षेत्रों में धीमी वृद्धि देखी जा रही है।
- मौसमी ने उत्पादन की वृद्धि को बाधित करने में योगदान दिया है।

उद्योगों को ऋण

- वर्ष की शुरुआत से उद्योग को दिए जाने वाले ऋण में सुधार होना शुरू हो गया और एमएसएमई को दिए जाने वाले ऋण में भी आंशिक रूप से उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसे आपातकालीन क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की शुरूआत से मदद मिली है।

विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई

- संरचनात्मक सुधारों और व्यापार करने में आसानी में सुधार के उपायों से प्रेरित होकर, प्रवाह महामारी-पूर्व स्तरों से काफी ऊपर रहा, जिससे भारत दुनिया में सबसे आकर्षक एफडीआई गंतव्यों में से एक बन गया।

Sector-wise FDI Equity Inflows in 2022-23 during April-September 2022

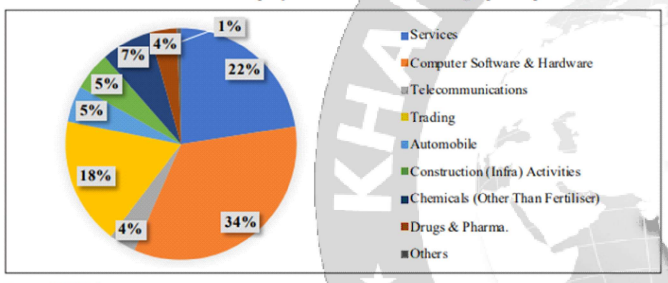

Source: DPIIT data

निवेश को बढ़ावा देने के लिए एफडीआई नीति में सुधार

- FY20 में, प्रासंगिक अधिनियमों के प्रावधानों के अधीन, कोयले की बिक्री और संबंधित प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे सहित कोयला खनन गतिविधियों के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत FDI की अनुमति दी गई थी।
- डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार और समसामयिक मामलों की अपलोडिंग/स्ट्रीमिंग के लिए सरकारी मार्ग के तहत 26 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है।
- बिचौलियों या बीमा मध्यस्थों में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है, जिसमें बीमा दलाल, पुनर्बीमा दलाल, बीमा सलाहकार, कॉर्पोरेट एजेंट, तीसरे पक्ष के प्रशासक, सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता और ऐसी अन्य संस्थाएं शामिल हैं जिन्हें आईआरडीए द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है। .
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सुविधा के लिए निवेशकों के लिए भारत सरकार के ऑनलाइन सिंगल-पॉइंट इंटरफेस के रूप में एक नया पोर्टल, षविदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (एफआईएफ पोर्टल) लॉन्च किया गया है।

इलैक्ट्रॉनिक्स उद्योग

- मोबाइल फोन सेगमेंट में, भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है, हैंडसेट का उत्पादन वित्त वर्ष 2015 में 6 करोड़ यूनिट से बढ़कर वित्त वर्ष 2021 में 29 करोड़ यूनिट हो गया है।
- नवंबर 2022 में सकारात्मक निर्यात वृद्धि प्रदर्शित करने वाले शीर्ष पांच कमोडिटी समूहों में इलेक्ट्रॉनिक सामान शामिल थे, इस खंड में निर्यात में साल-दर-साल 55.1% की वृद्धि हुई।
- बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना, आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना, इलेक्ट्रॉनिक घटकों और अर्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीईसीएस) इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण आधार को पोषित करने और बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई कुछ पहल और प्रोत्साहन हैं।
- यह स्वीकार करते हुए कि भले ही भारत में दुनिया के 20% सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर हैं, लेकिन बौद्धिक संपदा (आईपी) में इसकी हिस्सेदारी बहुत कम है, भारत सरकार ने एक डिजाइन लिंक्ड-इंसेंटिव (डीएलआई) योजना की भी घोषणा की है।
- इजराइल स्थित इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर कंसोर्टियम ने भारत का पहला चिप बनाने वाला संयंत्र स्थापित करने के लिए कर्नाटक में रु. 22,900 करोड़ का निवेश करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। वेदांता और टाटा जैसी घरेलू कंपनियों ने भी देश में सेमीकंडक्टर फैब्स स्थापित करने की योजना का संकेत दिया है।

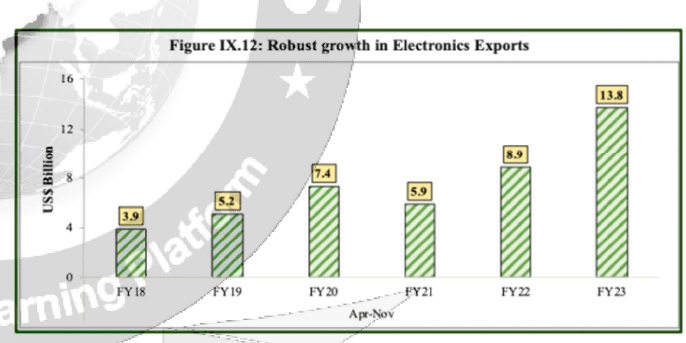

कोयला उद्योग

- अप्रैल-दिसंबर, 2022 में, कोयले का उत्पादन साल-दर-साल आधार पर 14 प्रतिशत बढ़ा और वित्त वर्ष 2020 की पूर्व-महामारी की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक था। इसके अलावा, बिजली संयंत्रों में कोयले का स्टॉक 30 जून 2022 को 10 दिन और एक साल पहले 8 दिन की तुलना में 30 दिसंबर 2022 तक सुधरकर 12 दिन हो गया।
- कोयला उद्योग के सालाना 6-7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जिससे वित्त वर्ष 2016 तक 1 अरब टन का उत्पादन स्तर और 2030 तक लगभग 1.5 अरब टन तक पहुंच जाएगा। बढ़े हुए घरेलू कोयला उत्पादन से घरेलू कोयले की मांग को पूरा करने, प्रतिस्थापन योग्य आयात की जगह लेने की उम्मीद है। निर्यात बढ़ाना।

कपड़ा उद्योग

- चालू वित्त वर्ष में कपड़ा उद्योग को FY22 की तुलना में निर्यात

में कमी की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कपड़ा क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह अभी भी महामारी से पहले के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है।

❖ सरकार ने सात पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्रा) पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जो न केवल लॉजिस्टिक्स लागत को कम करेगा और भारतीय कपड़ा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करेगा, बल्कि रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगा, घरेलू निवेश और एफडीआई को आकर्षित करेगा।

Figure IX.17: Export of Textiles moderated, while there is an uptick in Readymade Garment exports (April-Nov)

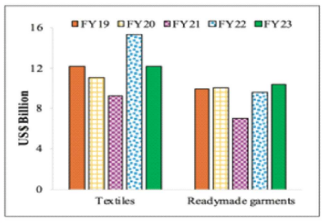

Source: Dept. of Commerce

Figure IX.18: FDI Equity inflows in Textile yet to Recover

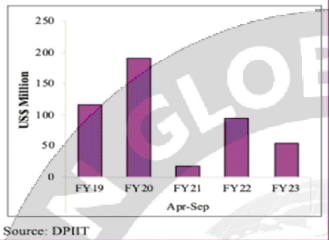

Source: DPIIT

फार्मास्यूटिकल्स उद्योग

❖ वैश्विक व्यापार व्यवधानों और कोविड-19 से संबंधित उपचारों की मांग में गिरावट के बावजूद सकारात्मक वृद्धि बरकरार रखते हुए फार्मा निर्यात का प्रदर्शन मजबूत रहा है। फार्मा क्षेत्र में संचयी एफडीआई सितंबर 2022 तक 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर गया।

❖ सितंबर 2022 में फार्मा क्षेत्र में संचयी एफडीआई 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर गया। इसके अलावा, निवेशक-अनुकूल नीतियों और सकारात्मक दृष्टिकोण द्वारा समर्थित, एफडीआई प्रवाह सितंबर 2022 तक पांच वर्षों में चार गुना बढ़कर 699 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। उद्योग

ऑटोमोबाइल उद्योग

❖ इस क्षेत्र के महत्व का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जाता है कि यह 2021 के अंत में 3.7 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करते हुए समग्र सकल घरेलू उत्पाद में 7.1 प्रतिशत और विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद में 49 प्रतिशत का योगदान देता है।

❖ हरित ऊर्जा की ओर परिवर्तन में ऑटोमोटिव उद्योग द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार के 2022 और 2030 के बीच 49 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ने की उम्मीद है और 2030 तक एक करोड़ यूनिट की वार्षिक बिक्री होने की उम्मीद है। ईवी उद्योग 5 करोड़ प्रत्यक्ष उत्पादन करेगा। और 2030 तक अप्रत्यक्ष नौकरियाँ।

मेक इन इंडिया 2.0 और पीएलआई योजनाएं

❖ वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के एकीकरण को और बढ़ाने के लिए, 'मेक इन इंडिया 2.0' अब 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें 15 विनिर्माण क्षेत्र और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं।

❖ पीएलआई योजना से लगभग रु. 3 लाख करोड़ से अधिक पूंजी व्यय आकर्षित होने की उम्मीद है। अगले पांच साल इस योजना से देश में एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ होगा।

❖ पीएलआई कार्यक्रम के तहत कुछ नवीनतम विकासों में दूरसंचार विनिर्माण में संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने और दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई योजना के हिस्से के रूप में 5जी के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए जून 2022 में डिजाइन-आधारित पीएलआई का लॉन्च शामिल है। कैबिनेट ने भारत में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के निर्माण के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए श्उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रमश पर पीएलआई योजना (ट्रेंच II) को मंजूरी दे दी है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आयात निर्भरता कम हो जाएगी।

उद्योग 4.0

❖ चौथी औद्योगिक क्रांति (उद्योग 4.0) के आगमन ने विनिर्माण प्रक्रियाओं में क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी, मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी नई प्रौद्योगिकियों को एकीकृत किया है, जिससे मूल्य श्रृंखला में दक्षताएं बढ़ी हैं। भारत ने इंटरनेट पहुंच में महत्वपूर्ण प्रगति की है जो उद्योग 4.0 की प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है।

❖ सरकार ने भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के तहत समर्थ (स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब) उद्योग भारत 4.0 की पहल की है, जिसका उद्देश्य जागरूकता कार्यक्रमों और प्रदर्शनों के माध्यम से भारतीय विनिर्माण इकाइयों के लिए तकनीकी समाधान को प्रोत्साहित करना है।

उद्योग एवं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23

1. वर्ष 2018-19 से 2019-20 के बीच बिहार में कारखानों की संख्या सिर्फ 0.3 प्रतिशत बढ़ी लेकिन कार्यशील पूंजी 51 प्रतिशत बढ़ गई। साथ ही, 2019-20 में बिहार में शुद्ध मूल्यवर्धन में 2018-19 से 1.2 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई थी जबकि संपूर्ण भारत के स्तर पर इसमें 4.8 प्रतिशत कमी आई थी।
2. बिहार में कुल चीनी उत्पादन 45.6 लाख क्विंटल था और चीनी प्राप्ति की दर 9.6 प्रतिशत थी। उप-उत्पादों खास कर ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का उत्पादन हाल के वर्षों में बढ़ा है। राज्य में ईथेनॉल उत्पादन की क्षमता 2021-22 में 470 हजार लीटर प्रतिदिन थी जो 2020-21 में 370 हजार लौ. प्रतिदिन ही थी। विद्युत उत्पादन के मामले में 2021-22 में आठ चीनी मिलों ने संयुक्त रूप से 88.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया।
3. कॉम्फेड ने अपने नेटवर्क का सफलतापूर्वक विस्तर किया है और नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए वह अधिक लोगों को सफलतापूर्वक आकर्षित कर रहा है। उसने अपने उत्पादों में विविधता लाई है और राज्य के विभिन्न भागों में काम कर रही

अपनी खुदरा दूकानों के जरिए उनकी बिक्री की है। दूध, घी, लस्सी, पनीर, दही, और आइसकॉम की बिक्री में काफी वृद्धि दर्ज हुई है।

4. राज्य सरकार ने बुनकरों की संख्या और क्षेत्रगत मूल्यश्रृंखला के अस्तित्व को काम में लाने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म नीति), 2022 सूत्रबद्ध की है ताकि बिहार देश में वस्त्र और पोशाकों के उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र बन सके। राज्य सरकार विद्युत सब्सिडी और कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की योजनाओं के जरिए बुनकरों को भी लगातार सहायता देती है।
5. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2022 के तहत राज्य सरकार को गत छः वर्षों में कुल 60.86 हजार करोड़ रु. निवेश के लिए प्रस्ताव मिले। अभी बिहार में 398 इकाइयां काम कर रही हैं और इन कार्यशील इकाइयों में 3.39 हजार करोड़ रु. निवेशित हैं। उत्पादन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत गत छः वर्षों में 532.46 करोड़ रु. विमुक्त किए हैं। निवेश की सर्वाधिक रकम (1395.65 करोड़ रु.) खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आई है जिसका राज्य के कुल निवेश में 41 प्रतिशत हिस्सा है।
6. वर्ष 2021-22 में राज्य विभिन्न आकार की कुल 97 परियोजनाओं को आकर्षित कर सका जबकि 2020-21 में उनकी संख्या 71 थी। वर्ष 2021-22 में 45 सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हुई जो 2020-21 में स्थापित सूक्ष्म उद्यमों की संख्या की दूनी से भी अधिक है। सूक्ष्म उद्यमों में निवेश की रकम में 135 प्रतिशत वृद्धि हुई है और रोजगार 107 प्रतिशत बढ़ा है। वृहत इकाइयों की संख्या भी 2020-21 के 3 से बढ़कर 2021-22 में 11 हो गई। उन उद्यमों में निवेश की रकम 131 प्रतिशत बढ़ी है। वहीं, वृहत उद्यमों में रोजगार में 187 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
7. राज्य सरकार ने आच्छादन का विस्तार और उसकी प्रभाविता सुनिश्चित करके बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2022 घोषित की है। 12 जनवरी, 2022 तक स्टार्ट-अप के 273 आवेदन वित्तपोषण के योग्य पाए गए थे। राज्य सरकार ने स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए 4.01 करोड़ रु. व्यय किए हैं।
8. आबादी के विभिन्न वचित समूहों के बीच उद्यमिता या स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अभी मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अति पिछड़ा वर्ग योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। इस कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार ने दिसंबर 2022 तक 857.77 करोड़ रु. व्यय किए हैं।
9. बिहार में धार्मिक, स्वास्थ्य, मनोरंजन, जलयात्रा, और सांस्कृतिक पर्यटन के विकास की संभावना है। पर्यटन पर व्यय बढ़ा है और 2020-21 के 70.20 करोड़ रु. से 2021-22 में 146.90 करोड़ रु. हो गया है। इसके अलावा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने राज्य में पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की है।

औद्योगिक नीति

- औद्योगिक नीति विनिर्माण क्षेत्र की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और उपायों का समूह है जो अंततः देश की आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ाता है।औद्योगिक नीति से तात्पर्य देश में औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीतियों से है।
- सरकार विभिन्न फर्मों की प्रतिस्पर्धात्मकता और क्षमताओं को प्रोत्साहित करने और उनमें सुधार करने के लिए उपाय करती है।

औद्योगिक नीति के उद्देश्य

1. उत्पादकता में निरंतर वृद्धि बनाए रखना।
2. रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना।
3. उपलब्ध मानव संसाधन का बेहतर उपयोग करें
4. विभिन्न माध्यमों से देश की प्रगति को गति देना
5. अंतरराष्ट्रीय मानकों और प्रतिस्पर्धात्मकता के स्तर से मेल खाने के लिए

भारत में औद्योगिक नीतियाँ

1948 का औद्योगिक नीति संकल्प

- **राज्य की भूमिका** - एक उद्यमी और प्राधिकारी दोनों के रूप में।
- मिश्रित आर्थिक मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं
- **लघु एवं कुटीर उद्योग** महत्व दिया गया
- सरकार ने विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया
- नीति में समाज का समाजवादी स्वरूप विकसित करने पर बल दिया गया।
- इस प्रकार इसने राज्य के नेतृत्व वाले औद्योगीकरण की नींव रखी।
- इसने उद्योगों को चार व्यापक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया:

1. **सामरिक उद्योग (सार्वजनिक क्षेत्र):** इसमें तीन उद्योग शामिल थे जिनमें केंद्र सरकार का एकाधिकार था। इनमें हथियार और गोला-बारूद, परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन शामिल थे।
2. **बुनियादी/प्रमुख उद्योग (सार्वजनिक-सह-निजी क्षेत्र):** 6 उद्योग अर्थात। कोयला, लोहा और इस्पात, विमान निर्माण, जहाज निर्माण, टेलीफोन, टेलीग्राफ और वायरलेस उपकरण का निर्माण, और खनिज तेल को 'प्रमुख उद्योग' या 'बुनियादी उद्योग' के रूप में नामित किया गया था। ये उद्योग केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किये जाने थे। हालाँकि, मौजूदा निजी क्षेत्र के उद्यमों को जारी रखने की अनुमति दी गई थी।
3. **महत्वपूर्ण उद्योग (नियंत्रित निजी क्षेत्र):** इसमें भारी रसायन, चीनी, सूती कपड़ा और ऊनी उद्योग, सीमेंट, कागज, नमक, मशीन उपकरण, उर्वरक, रबर, वायु और समुद्री परिवहन, मोटर, ट्रैक्टर, बिजली आदि सहित 18 उद्योग शामिल थे। ये उद्योग निजी क्षेत्र के अधीन बने रहे, हालाँकि, राज्य सरकार के परामर्श से केंद्र सरकार का इन पर सामान्य नियंत्रण था।

4. **अन्य उद्योग (निजी और सहकारी क्षेत्र):** अन्य सभी उद्योग जो उपरोक्त तीन श्रेणियों में शामिल नहीं थे, उन्हें निजी क्षेत्र के लिए खुला छोड़ दिया गया था। औद्योगिक नीति संकल्प, 1948 को लागू करने के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधि नियम 1951 में पारित किया गया था।

1956 का औद्योगिक नीति संकल्प

- इसने सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता पर जोर दिया (दूसरी पंचवर्षीय योजना की महालनोबिस रणनीति के अनुरूप)।
- महालनोबिस रणनीति तीव्र दीर्घकालिक विकास दर के लिए बुनियादी भारी उद्योगों में निवेश पर केंद्रित है।
- इसने निजी उद्योगों में स्वामित्व और प्रबंधन को अलग करने और निजी एकाधिकार के उदय को रोकने को प्रोत्साहित किया।
- इसने एक बड़े और बढ़ते सहकारी क्षेत्र के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया।
- निजी उद्योगों के प्रवेश में बाधाओं ने घरेलू प्रतिस्पर्धा में बाधा उत्पन्न की। इस प्रकार, इसने भारतीय उद्योगों की उत्पादकता को कम कर दिया।
- इसे 'भारत का आर्थिक संविधान' या 'राज्य पूंजीवाद की बाइबिल' माना जाता था।
- इसने जून 1991 तक उद्योगों के संबंध में सरकार की नीति के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान किया।
- इसमें सार्वजनिक क्षेत्र, लघु उद्योग, विदेशी निवेश के लिए प्रावधान हैं।
- आईपीआर, 1956 ने उद्योगों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया

1. 17 उद्योगों वाली अनुसूची ए राज्य की विशेष जिम्मेदारी थी। इन 17 उद्योगों में से चार उद्योगों, अर्थात् हथियार और गोला-बारूद, परमाणु ऊर्जा, रेलवे और हवाई परिवहन पर केंद्र सरकार का एकाधिकार था; शेष उद्योगों में नई इकाइयाँ राज्य सरकारों द्वारा विकसित की गईं।
2. अनुसूची बी, जिसमें 12 उद्योग शामिल थे, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के लिए खुला था; हालाँकि, ऐसे उद्योग उत्तरोत्तर राज्य के स्वामित्व वाले थे। अनुसूची सी- इन दो अनुसूचियों में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी उद्योग तीसरी श्रेणी का गठन करते थे जिसे निजी क्षेत्र के लिए खुला छोड़ दिया गया था। हालाँकि, राज्य ने किसी भी प्रकार का औद्योगिक उत्पादन करने का अधिकार सुरक्षित रखा।

- अनुसूची बी, जिसमें 12 उद्योग शामिल थे, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के लिए खुला था; हालाँकि, ऐसे उद्योग उत्तरोत्तर राज्य के स्वामित्व वाले थे।

3. **अनुसूची सी**- इन दो अनुसूचियों में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी उद्योग तीसरी श्रेणी का गठन करते थे जिसे निजी क्षेत्र के लिए खुला छोड़ दिया गया था। हालाँकि, राज्य ने किसी भी प्रकार का औद्योगिक उत्पादन करने का अधिकार सुरक्षित रखा।

- आईपीआर 1956 ने रोजगार के अवसरों के विस्तार और आर्थिक शक्ति और गतिविधि के व्यापक विकेंद्रीकरण के लिए कुटीर और लघु उद्योगों के महत्व पर जोर दिया।
- प्रस्ताव में औद्योगिक शांति बनाए रखने के प्रयासों का भी आह्वान किया गया; लोकतांत्रिक समाजवाद के स्वीकृत उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन की आय का एक उचित हिस्सा मेहनतकश जनता को दिया जाना था।
- **आलोचना:** आईपीआर 1956 की निजी क्षेत्र की ओर से तीखी आलोचना हुई क्योंकि इस प्रस्ताव ने निजी क्षेत्र के विस्तार की गुंजाइश को काफी कम कर दिया था।
- इस क्षेत्र को लाइसेंस की एक प्रणाली के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया था।

औद्योगिक नीति वक्तव्य, 1977

- दिसंबर 1977 में जनता सरकार ने संसद में एक बयान के माध्यम से अपनी नई औद्योगिक नीति की घोषणा की।
- इस नीति का मुख्य जोर ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में व्यापक रूप से फैले कुटीर और लघु उद्योगों को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देना था।
- इस नीति में लघु क्षेत्र को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया-कुटीर एवं घरेलू क्षेत्र, लघु क्षेत्र और लघु उद्योग।
- 1977 की औद्योगिक नीति ने बड़े पैमाने के औद्योगिक क्षेत्र के लिए अलग-अलग क्षेत्र निर्धारित किए- बुनियादी उद्योग, पूंजीगत सामान उद्योग, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग और लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची से बाहर के अन्य उद्योग।
- 1977 की औद्योगिक नीति ने बड़े व्यापारिक घरानों के दायरे को सीमित कर दिया ताकि एक ही व्यापारिक समूह की कोई भी इकाई बाजार में प्रमुख और एकाधिकारवादी स्थिति हासिल न कर सके।
- इसने श्रमिक अशांति की घटना को कम करने पर जोर दिया। सरकार ने दुकान स्तर से लेकर बोर्ड स्तर तक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया।
- **आलोचना:** औद्योगिक नीति 1977 को गंभीर आलोचना का सामना करना पड़ा क्योंकि बड़े पैमाने की इकाइयों की प्रमुख स्थिति को रोकने के लिए प्रभावी उपायों का अभाव था और नीति में बड़े व्यापारिक घरानों की भूमिका पर अंकुश लगाने के लिए अर्थव्यवस्था के किसी भी सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की परिकल्पना नहीं की गई थी। और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ।

औद्योगिक नीति वक्तव्य, 1980

- 1980 के औद्योगिक नीति वक्तव्य में घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, आधुनिकीकरण, चयनात्मक उदारीकरण और तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता को संबोधित किया गया।
- इसने लाइसेंसिंग को उदार बनाया और क्षमता के स्वचालित विस्तार की व्यवस्था की।
- इस नीति के कारण, एमआरटीपी अधिनियम (एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएं) और फेरा अधिनियम (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973) पेश किये गये।
- इसका उद्देश्य औद्योगिक उत्पादकता और औद्योगिक क्षेत्र की

प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र को उदार बनाना था।

❖ इस नीति ने तेजी से प्रतिस्पर्धी निर्यात-आधारित और उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने की नींव रखी।

1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान नई औद्योगिक नीति

❖ नई औद्योगिक नीति, 1991 का मुख्य उद्देश्य बाजार शक्तियों को सुविधाएं प्रदान करना और दक्षता बढ़ाना था।

द्वारा बड़ी भूमिकाएँ प्रदान की गई–

- **एल** - उदारीकरण (सरकारी नियंत्रण में कमी)
- **पी** - निजीकरण (निजी क्षेत्र की भूमिका और दायरा बढ़ाना)
- **जी** - वैश्वीकरण (विश्व अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का एकीकरण)

❖ एलपीजी के कारण पुरानी घरेलू कंपनियों को नई घरेलू कंपनियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और आयातित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है

नई औद्योगिक नीति की विशेषताएं

1. **सार्वजनिक क्षेत्र का आरक्षण रद्द करना:** जो क्षेत्र पहले विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, उन्हें कम कर दिया गया। हालाँकि, हथियार और गोला-बारूद, परमाणु ऊर्जा, खनिज तेल, रेल परिवहन और खनन जैसे 5 प्रमुख क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख स्थान जारी रखा गया।

❖ **वर्तमान में, केवल दो क्षेत्र**- परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं।

2. **डी-लाइसेंसिंग:** उद्योगों की एक छोटी सूची को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त करना।

❖ वर्तमान में सुरक्षा, रणनीतिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं से संबंधित केवल 4 उद्योग हैं, जहां वर्तमान में औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता है–

- इलेक्ट्रॉनिक एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण
- निर्दिष्ट खतरनाक रसायन
- औद्योगिक विस्फोटक
- तम्बाकू के सिगार और सिगरेट और निर्मित तम्बाकू विकल्प

3. **सार्वजनिक क्षेत्र का विनिवेश:** सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उनमें सरकारी हिस्सेदारी कम कर दी गई।

4. **विदेशी निवेश का उदारीकरण:** यह पहली औद्योगिक नीति थी जिसमें विदेशी कंपनियों को भारत में बहुमत हिस्सेदारी की अनुमति दी गई थी। 47 उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51% तक एफडीआई की अनुमति दी गई। निर्यात व्यापारिक घरानों के लिए 74% तक एफडीआई की अनुमति दी गई।

❖ आज, अर्थव्यवस्था में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां सरकार 100% एफडीआई की अनुमति देती है।

5. **विदेशी प्रौद्योगिकी समझौता:** प्रौद्योगिकी संबंधी समझौतों के लिए स्वचालित अनुमोदन।

6. एमआरटीपी कंपनियों और प्रमुख उपक्रमों के संबंध में संपत्ति की सीमा को हटाने के लिए एमआरटीपी अधिनियम में संशोधन किया गया था। एमआरटीपी अधिनियम को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

नई औद्योगिक नीति 1991 के परिणाम

❖ 1991 की नई औद्योगिक नीति (एनआईपी) भारत के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जो एक बंद, विनियमित अर्थव्यवस्था से अधिक खुली, बाजार-संचालित अर्थव्यवस्था में बदलाव का प्रतीक था। इसके परिणाम दूरगामी थे और आज भी इस पर बहस जारी है। यहां सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का व्यापक अवलोकन दिया गया है:

सकारात्मक परिणाम

❖ **आर्थिक विकास:** 1991 के बाद भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में काफी तेजी आई, जो अगले दो दशकों तक औसतन लगभग 6% रही। इसे आंशिक रूप से एनआईपी के सुधारों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

❖ **विदेशी निवेश:** नीति ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को उदार बनाया, जिससे प्रवाह में वृद्धि हुई। इससे विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देते हुए बहुत आवश्यक पूंजी और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हुई।

❖ **औद्योगिक विविधीकरण:** नियमों में ढील के साथ, भारतीय उद्योगों का कपड़ा जैसे पारंपरिक क्षेत्रों से परे विविधीकरण हुआ। ऑटोमोबाइल, आईटी और फार्मास्यूटिकल्स जैसे नए क्षेत्र प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभरे।

❖ **बढ़ती प्रतिस्पर्धा:** प्रवेश बाधाओं और लाइसेंसिंग प्रतिबंधों को हटाने से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला, जिससे दक्षता में सुधार हुआकई उद्योगों में उत्पाद की गुणवत्ता।

❖ **बुनियादी ढांचे का विकास:** व्यवसायों के फलने-फूलने के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए सड़कों, बंदरगाहों और बिजली संयंत्रों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया।

❖ **प्रौद्योगिकी प्रगति:** वैश्विक प्रतिस्पर्धा के संपर्क और विदेशी प्रौद्योगिकी तक पहुंच ने नवाचार और आधुनिक प्रथाओं को अपनाने को प्रेरित किया।

नकारात्मक परिणाम

❖ **बढ़ती असमानता:** आर्थिक विकास का लाभ समान रूप से वितरित नहीं किया गया है। जबकि कुछ क्षेत्र और व्यक्ति समृद्ध हुए, अन्य, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और पारंपरिक उद्योगों में, नौकरी छूटने और आजीविका चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

❖ **धन की सघनता में वृद्धि:** उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण सत्ता और धन कुछ बड़े निगमों के हाथों में सिमट गया।

❖ **वातावरण संबंधी मान भंग:** तेजी से औद्योगीकरण, अक्सर ढीले नियमों के साथ, भारत के पर्यावरण पर अत्यधिक दबाव डालता है, जिससे प्रदूषण और संसाधनों की कमी होती है।

❖ **विदेशी पूंजी पर बढ़ी निर्भरता:** एफडीआई पर निर्भरता ने

अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों और वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बना दिया।

- **आजीविका चुनौतियाँ:** अधिक आधुनिक, प्रौद्योगिकी-संचालित अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव ने कई लोगों को, विशेष रूप से सीमित कौशल या शिक्षा वाले लोगों को, रोजगार खोजने के लिए संघर्ष करते हुए छोड़ दिया है।
- **एकाधिकार का उदय:** अविनियमन और निजीकरण प्रक्रियाओं ने कभी-कभी बड़े निगमों का पक्ष लिया, जिससे एकाधिकार का निर्माण हुआ जिसने प्रतिस्पर्धा को दबा दिया और उपभोक्ताओं का शोषण किया।

उदारीकरण

उदारीकरण क्या है?

- उदारीकरणआम तौर पर आर्थिक प्रणाली से संबंधित निजी क्षेत्र की गतिविधियों से प्रतिबंधों को हटाना है।
- उदारीकरण में देश की अर्थव्यवस्था से नियंत्रण और नियमों को हटाना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यवसाय और निगम आर्थिक विकास में अपना योगदान अधिकतम कर सकें।
- भारत में, भुगतान संतुलन संकट की स्थितियों से निपटने के लिए एक नई आर्थिक नीति की शुरुआत के साथ इसकी शुरुआत हुई।
- औद्योगीकरण, निजी और विदेशी निवेश की भूमिका में विस्तार और मुक्त बाजार प्रणाली की शुरूआत जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उदारीकरण किया गया था।

<u>उदारीकरण की आवश्यकता</u>

- स्वतंत्रता के बाद, भारत ने घरेलू उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए विदेशी व्यापार और निवेश में बाधाएँ खड़ी कीं। ऐसा माना जाता था कि आयात ने इन उद्योगों के विकास को अवरुद्ध कर दिया होगा।
- एक व्यापक धारणा है कि आजादी के बाद से प्रचलित मिश्रित अर्थव्यवस्था ढांचे के परिणामस्वरूप कई नियमों और कानूनों की स्थापना हुई है, जो परमिट लाइसेंस राज में परिणत हुई है।
- 1990-1991 के दौरान, सरकार अपने विदेशी उधारों का भुगतान करने में असमर्थ थी।
- **आयात को कवर करने के लिए कम विदेशी मुद्रा आरक्षित कवरेज:** 1990-91 में, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम था कि वह 10-दिवसीय आयात बिल को कवर करने के लिए अपर्याप्त था। विदेशी मुद्रा भंडार रुपये से तेजी से गिर गया। 1986-87 में 8,151 करोड़ रु. 1989-90 में 6,252 करोड़।
- **खराब राजकोषीय प्रबंधन:** 1980 के दशक के दौरान, सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो गया, और विकास कार्यक्रमों पर निरंतर व्यय से अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न नहीं हुआ।
- सरकार कराधान जैसे आंतरिक स्रोतों से पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने में असमर्थ थी। खर्च का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक क्षेत्र और रक्षा जैसे क्षेत्रों में गया है।
- **घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रम:** 1951 में भारत में केवल 5 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे, लेकिन मार्च 1991 तक यह संख्या 246 हो गई थी। उनकी वृद्धि में कई हजार करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। पहले 15 वर्षों तक उनका प्रदर्शन उत्साहजनक रहा, लेकिन फिर उनमें से अधिकांश को पैसे की हानि होने लगी। खराब प्रदर्शन के परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम देनदारियों में डूब गए हैं।
- विदेशी सरकारों/बहुराष्ट्रीय संस्थानों से उधार ली गई धनराशि का उपयोग सरकार की उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता था।
- **ब्याज कवरेज के लिए उधार लेना:** एक समय, अंतरराष्ट्रीय ऋणदाताओं को बकाया ब्याज का भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा अपर्याप्त थी।
- भारत ने ऋण के लिए आईबीआरडी और आईएमएफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से संपर्क किया और ऋण देते समय, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत से अपेक्षा की कि वह निजी क्षेत्र पर प्रतिबंध हटाकर अर्थव्यवस्था को उदार बनाए और खोले, साथ ही कई क्षेत्रों में सरकार की भूमिका भी कम करे।
- **इसका परिणाम अंततः** 1991 के नए आर्थिक सुधारों के रूप में सामने आया।

उदारीकरण के उद्देश्य

- भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और निजी कंपनियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना
- भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण को सक्षम बनाना।
- निर्यात बढ़ाने के लिए देश में विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना।
- भारत के भुगतान संतुलन संकट को दूर करना।
- भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना।
- भारतीय उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मात्रा बढ़ाना
- घरेलू व्यवसायों के बीच प्रतिस्पर्धी माहौल तैयार करना।

<u>उदारीकरण की विशेषताएँ</u>

<u>औद्योगिक क्षेत्र का विनियमन</u>

<u>1991 से पहले का संकट</u>

- औद्योगिक लाइसेंसिंग के लिए प्रत्येक व्यवसायी को व्यवसाय खोलने या बंद करने के लिए सरकारी अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
- उत्पादित की जा सकने वाली वस्तुओं की संख्या भी सरकार की मंजूरी के अधीन थी।
- कई उद्योगों में निजी क्षेत्र को अनुमति नहीं थी।
- कुछ वस्तुओं का निर्माण केवल छोटे पैमाने पर ही किया जा सकता था।
- सरकार कीमतों को नियंत्रित करती थी और केवल कुछ औद्योगिक उत्पादों का वितरण करती थी, जिसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार होता था।

<u>1991 के बाद का संकट</u>

- 1991 के बाद से, ऊपर उल्लिखित कई प्रतिबंध हटा दिए गए हैं।
- निम्नलिखित पाँच उद्योगों को छोड़कर, लगभग सभी उत्पादों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई: (ए) शराब, (बी) सिगरेट, (सी) रक्षा उपकरण, (डी) औद्योगिक विस्फोटक, और (ई) खतरनाक रसायन।
- नई औद्योगिक नीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर 8 कर दी गई। 2010-11 में, इन उद्योगों की संख्या घटकर केवल दो रह गई, अर्थात् (i) परमाणु ऊर्जा; और (ii) रेलवे।
- कई उत्पादन क्षेत्र जो पहले एसएसआई (लघु-स्तरीय उद्योगों) के लिए आरक्षित थे, उन्हें डी-आरक्षित कर दिया गया है। बाजार की शक्तियों को संसाधन आवंटन (सरकार की निर्देशात्मक नीति के बजाय) निर्धारित करने की अनुमति दी गई।
- कई उद्योगों में बाजार को कीमतें निर्धारित करने की अनुमति दी गई है।

वित्तीय क्षेत्र में सुधार

- उदारीकरण ने वित्तीय क्षेत्र में आरबीआई की भूमिका में 'नियामक' से 'सुविधाकर्ता' की भूमिका में महत्वपूर्ण बदलाव ला दिया।
- आईसीआईसीआई, कोटक और एचडीएफसी जैसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों निजी क्षेत्र के बैंक स्थापित किए गए।
- एफडीआई और एफपीआई की सीमाएं धीरे-धीरे बढ़ाई गईंविभिन्न क्षेत्रों में।
- बैंकों को भारत और विदेश दोनों से धन उत्पन्न करने की अनुमति दी गई।
- बीमा, धन और पूंजी बाजार सहित अन्य क्षेत्रों में कई सुधार लागू किए गए।
- भारतीय वित्तीय क्षेत्र की नई वास्तविकताओं के जवाब में, सेबी, बीएसई, एनएसई, पीएफआरडीए और आईआरडीए जैसे नए संस्थागत नियामक और संरचनाएं स्थापित की गईं।

कर सुधार

- 1991 के बाद से व्यक्तिगत आयकर में लगातार कमी आ रही है।
- ऐसा माना जाता था कि उच्च आयकर दरें कर चोरी का एक प्रमुख स्रोत थीं, इसलिए मध्यम आयकर और कॉर्पोरेट कर दरें लागू की गईं।
- कई प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया गया है।
- अप्रत्यक्ष कर सुधार लागू किए गए हैं, जिनमें से सबसे हालिया सुधार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) है।

विदेशी मुद्रा सुधार

- विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपये का अवमूल्यन किया गया है। यह मुख्य रूप से निर्यात को बढ़ावा देने और अंतत: विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए किया गया था।
- विदेशी मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपये के अवमूल्यन से भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा की आपूर्ति बढ़ गई।
- परिणामस्वरूप, विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति ने विनिमय दरें निर्धारित कीं और इस संबंध में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम था। आरबीआई शायद ही कभी हस्तक्षेप करता है, जिसे 'प्रबंधित फ्लोट' के रूप में जाना जाता है।

व्यापार और निवेश नीति

- व्यापार और निवेश नीतियों में सुधार।
- आयात मात्रात्मक प्रतिबंधों को धीरे-धीरे कम किया गया।
- खतरनाक और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील उद्योगों को छोड़कर, आयात लाइसेंस समाप्त कर दिया गया।
- विनिर्मित उपभोक्ता वस्तुओं और कृषि उत्पादों पर आयात मात्रात्मक प्रतिबंध भी अप्रैल 2001 में हटा दिए गए थे।
- अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया है।
- एफडीआई/एफपीआई धीरे-धीरे प्रवाहित हुआ।

उदारीकरण के लाभ/फायदे

- उदारीकरण ने व्यवसायों को निवेशकों से पूंजी प्राप्त करने में सक्षम बनाकर देश में पूंजी के मुक्त प्रवाह की शुरुआत की।
- इसने निवेशकों के पोर्टफोलियो में विविधता लाने में मदद की जिससे व्यवसायों के बीच मुनाफा बढ़ाने में मदद मिली।
- आर्थिक नियमों को कम करने से शेयर बाजार के मूल्य में वृद्धि होती है, जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों के बीच बेहतर व्यापार होता है।
- इसने अधिक निवेश, फसल पैटर्न के विविधीकरण आदि के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में सुधार किया।

उदारीकरण की सीमाएँ

- इसने राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में शुरू किए गए आमूल-चूल सुधारों के कारण आर्थिक अस्थिरता पैदा की।
- बढ़ती प्रतिस्पर्धाबड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कई छोटी कंपनियों के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है।
- बैंकिंग और बीमा जैसे क्षेत्रों से प्रतिबंध हटाने से इन दोनों क्षेत्रों में सरकार की हिस्सेदारी में गिरावट आई।
- विलय और अधिग्रहण की बढ़ती संभावनाओं ने छोटी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए खतरा पैदा कर दिया है

निष्कर्ष

- भारतीय अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन संकट से निपटने के लिए उदारीकरण की शुरुआत एक मजबूरी के रूप में की गई थी। इस सुधार में लाइसेंस राज आदि जैसे पिछले प्रतिबंधों को हटाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलना शामिल था। इससे अर्थव्यवस्था के विकास में मदद मिली लेकिन इसने प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल के प्रति इसे कमजोर भी बना दिया।

निजीकरण

निजीकरण क्या है?

- निजीकरण स्वामित्व, संपत्ति या व्यवसाय को सरकार से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है।
- निगम या व्यवसाय अब सरकार के स्वामित्व में नहीं है।

- निजीकरण राष्ट्रीयकरण का बिल्कुल विपरीत है, जो सरकारों द्वारा महत्वपूर्ण कंपनियों से कमाई बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाली नीति है, विशेष रूप से उन कंपनियों से जिन्हें विदेशी हितों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।
- निजीकरण विनियमन को भी इंगित करता है क्योंकि यह निजी और सार्वजनिक स्वामित्व वाले निगमों के बीच प्रतिस्पर्धा पर प्रतिबंध को रोकता है।
- निजीकरण आर्थिक क्षेत्र में राज्य के प्रभुत्व को कम करता है और निजी क्षेत्र की सुरक्षा में भी मदद करता है।

निजीकरण के लक्ष्य

- सार्वजनिक उद्यमों की परिचालन दक्षता बढ़ाएँ।
- उद्योग में प्रतिस्पर्धी माहौल विकसित करना।
- बजट घाटे के लिए संसाधनों का सृजन।
- घरेलू उद्योगों के वैश्वीकरण को सक्षम करें।
- विदेशी पूंजी (एफडीआई) का प्रवाह बढ़ाना।
- निर्यात की संख्या बढ़ाना और विदेशी मुद्रा अर्जित करना।
- देश के प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग संभव बनाना।
- तीव्र औद्योगीकरण के लिए वातावरण तैयार करना।
- सरकार द्वारा कल्याणकारी गतिविधियों को प्राथमिकता दें।
- घाटे में चल रहे उद्यमों के संचालन को रोकें।

निजीकरण प्राप्ति के विभिन्न उपाय

निजीकरण निम्नलिखित तरीकों से लाया जा सकता है–

प्रतिस्पर्धी बोली

- इस पद्धति में कंपनी के शेयर और संपत्ति को टेंडर के माध्यम से बेचा जाता है। एक उद्यम पूरे व्यवसाय के बजाय एक उपक्रम बेचने का विकल्प चुन सकता है।

विनिवेश

- यह विधि तब अपनाई जाती है जब किसी सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम के शेयरों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करके आम जनता को बेचा जाता है।

रणनीतिक विनिवेश

- 50% तक शेयर बेचकर यह सुनिश्चित करना कि सरकार उद्यम में बहुसंख्यक हितधारक है

प्राइवेट प्लेसमेंट

- निजी प्लेसमेंट कुछ निजी व्यक्तियों के हाथों में स्वामित्व का हस्तांतरण है। सरकार सार्वजनिक कंपनी का स्वामित्व उन चुनिंदा व्यक्तियों को हस्तांतरित कर सकती है जो उनकी आवश्यकताओं और मानदंडों को पूरा करते हैं।

पूंजी का कमजोर होना

- सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के शेयरों को बेचने के बजाय निजी निवेशकों को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के शेयर जारी करके पूंजी जुटाई जाती है। इसलिए, ऐसी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी कम हो जाती है।

प्रबंधन कर्मचारी बायआउट

- इसमें कंपनी के कर्मचारियों को पूरे उद्यम की हिस्सेदारी या उसके एक हिस्से की बिक्री शामिल है।

बड़े पैमाने पर निजीकरण

- यह एक ऐसी विधि है जहां एक ही बार में बड़ी संख्या में उद्यमों का निजीकरण किया जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए, ऊपर उल्लिखित विभिन्न तरीकों के संयोजन का उपयोग किया जाता है।

निजीकरण के लाभ/फायदे

- यह निजी उद्यमों और व्यवसायों के विस्तार को सक्षम बनाता है।
- यह अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी माहौल पैदा करता है जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उचित मूल्य निर्धारण होता है
- इससे घरेलू और निजी निवेश में वृद्धि होती है।
- इससे रोजगार सृजन होता है क्योंकि अधिक व्यावसायिक घराने इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होता है
- देश के संसाधनों का कुशल उपयोग हो रहा है।

निजीकरण की सीमाएँ

- कुछ निजी खिलाड़ियों के बढ़ते प्रभुत्व से एकाधिकारवादी वातावरण का विकास हो सकता है।
- लाभ-संचालित स्वभावस्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे सामाजिक क्षेत्रों में निजी उद्यमों की आम तौर पर सलाह नहीं दी जाती है, जो गैर-लाभकारी उन्मुख होने चाहिए।
- उद्योगों का निजीकरण बढ़ने से वे विखंडित हो सकते हैं और कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी अपने हाथ में नहीं ले सकता।
- सुरक्षा और रणनीतिक चिंताओं के कारण कुछ रणनीतिक क्षेत्रों का निजीकरण नहीं किया जा सकता है।
- निजीकरण राजनीति से प्रेरित हो सकता है और इसे निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के सुसंगत भाग के बजाय विभिन्न हित समूहों के निहित स्वार्थों के लिए अपनाया जा सकता है।

निष्कर्ष

- यदि पर्याप्त उपायों के साथ निजीकरण नहीं किया गया तो विदेशी संस्थाओं, फर्मों के साथ-साथ फंडों को उचित या उचित मूल्यांकन से कम पर बिक्री हो सकती है, और एक संपन्न घरेलू अर्थव्यवस्था के विकास के दृष्टिकोण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ग्रीनफील्ड विदेशी निवेश और रणनीतिक विनिवेश जैसे उपायों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सरकार को गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में एक मात्र नियामक होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हो और घरेलू कंपनियों को तब तक समर्थन दिया जाए जब तक वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।

भूमंडलीकरण

वैश्वीकरण क्या है?

- वैश्वीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है जो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती परस्पर निर्भरता को परिभाषित करती है।
- इस शब्द का उपयोग आर्थिक वैश्वीकरण को संदर्भित करने के लिए भी किया जाता है, जो व्यापार, एफडीआई, पूंजी प्रवाह, तकनीकी उन्नति और बड़े पैमाने पर प्रवासन के माध्यम से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ संरेखित करने की प्रक्रिया है।
- 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद ही भारतीय अर्थव्यवस्था को वास्तव में वैश्वीकरण द्वारा लाई गई व्यापार की स्वतंत्रता का अनुभव हुआ।
- वैश्वीकरण उदारीकरण और निजीकरण नीतियों का परिणाम है।
- यह राष्ट्रीय सीमाओं के पार (कुछ नियंत्रणों के साथ) वस्तुओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों की मुक्त आवाजाही को संदर्भित करता है।

वैश्वीकरण के लाभ

- वैश्वीकरण, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं और संस्कृतियों के अंतर्संबंध ने कई लाभ लाए हैं, हमारे जीवन को कई तरीकों से बदल दिया है।

यहां कुछ प्रमुख लाभ दिए गए हैं–

आर्थिक विकास

- **बढ़ा हुआ व्यापार:** वैश्वीकरण व्यापक बाजारों के द्वार खोलता है, जिससे व्यवसायों को अपने सामान और सेवाओं को बड़े ग्राहक आधार पर बेचने की अनुमति मिलती है। इससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है, जिससे दक्षता, नवाचार और अंततः आर्थिक विकास में वृद्धि होती है।
- **सस्ते सामान तक पहुंच:** उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला से लाभ होता है। वैश्वीकरण उत्पादन को कम लागत वाले देशों में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है, जिससे सामान सभी के लिए अधिक किफायती हो जाता है।
- **रोजगार निर्माण:** जैसे-जैसे व्यवसाय वैश्विक स्तर पर विस्तारित होते हैं, वे न केवल विनिर्माण और उत्पादन में बल्कि लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग और वित्त जैसे क्षेत्रों में भी नई नौकरियां पैदा करते हैं। इससे विकासशील देशों में रोजगार को बढ़ावा मिल सकता है और जीवन स्तर में सुधार हो सकता है।

तकनीकी उन्नति

- **ज्ञान बांटना:** वैश्वीकरण सीमाओं के पार विचारों, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के तेजी से आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। यह सहयोगी वातावरण नवाचार को बढ़ावा देता है और वैज्ञानिक सफलताओं को गति देता है।
- **विशेषज्ञता तक पहुंच:** कंपनियां जटिल समस्याओं को हल करने और अत्याधुनिक समाधान विकसित करने के लिए विविध दृष्टिकोण और कौशल को एक साथ लाकर प्रतिभा और विशेषज्ञता के वैश्विक पूल का उपयोग कर सकती हैं।
- **ज्ञान का प्रसार:** वैश्वीकरण सूचना और शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देता है। दुनिया भर के लोग ऑनलाइन संसाधनों, पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण के अवसरों तक पहुंच सकते हैं, जिससे उन्हें सीखने और बढ़ने का अधिकार मिलता है।

सांस्कृतिक विनियमन

- **अंतर-सांस्कृतिक समझ:** वैश्वीकरण बाधाओं को तोड़ता है और विभिन्न संस्कृतियों के बीच समझ को बढ़ावा देता है। लोगों को नए व्यंजनों, संगीत, कला और परंपराओं से अवगत कराया जाता है, जिससे विविधता के प्रति सहिष्णुता और प्रशंसा को बढ़ावा मिलता है।
- **वैश्विक नागरिकता:** वैश्वीकरण जलवायु परिवर्तन या गरीबी जैसी वैश्विक चुनौतियों के लिए परस्पर जुड़ाव और साझा जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है। यह सीमाओं से परे मुद्दों के समाधान के लिए सहयोग और सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है।
- **व्यक्तिगत विकास:** व्यक्ति यात्रा, स्वयंसेवा या विदेश में काम करके मूल्यवान अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और अपने क्षितिज का विस्तार कर सकते हैं। विभिन्न संस्कृतियों का यह संपर्क व्यक्तिगत विकास को बढ़ा सकता है और अनुकूलनशीलता और लचीलापन विकसित कर सकता है।

जीवन स्तर में सुधार

- **गरीबी घटाना:** वैश्वीकरण ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, विशेषकर विकासशील देशों में। व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी तक पहुंच ने आर्थिक विकास और बेहतर आजीविका के अवसर पैदा किए हैं।
- **स्वास्थ्य सेवा उन्नति:** वैश्वीकरण चिकित्सा ज्ञान, प्रौद्योगिकी और संसाधनों को साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। इससे दुनिया भर में स्वास्थ्य देखभाल परिणामों में सुधार, बीमारी की रोकथाम और जीवन रक्षक उपचारों तक पहुंच में सुधार हुआ है।
- **पर्यावरण के प्रति जागरूकता:** वैश्विक अंतर्संबंध पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और उन्हें संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करता है। इससे स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, टिकाऊ प्रथाओं और सीमाओं के पार संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा मिल सकता है।

वैश्वीकरण की सीमाएँ

- वैश्वीकरण, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं और संस्कृतियों का अंतर्संबंध, निर्विवाद लाभ प्रदान करते हुए, महत्वपूर्ण सीमाएँ भी प्रस्तुत करता है जिन पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। विचार करने के लिए यहां कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं:

आर्थिक चिंताएँ

- **असमान लाभ:** वैश्वीकरण अक्सर मौजूदा असमानताओं को बढ़ाता है। जबकि विकसित राष्ट्र और बड़े निगम महत्वपूर्ण लाभ

प्राप्त करते हैं, विकासशील देश और हाशिए पर रहने वाले समुदाय प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, जिससे धन का अंतर बढ़ सकता है।

- **नौकरी में विस्थापन:** वैश्वीकरण द्वारा प्रेरित स्वचालन और आउटसोर्सिंग से विकसित देशों में, विशेषकर विनिर्माण क्षेत्रों में नौकरियाँ खत्म हो सकती हैं। इससे विस्थापित श्रमिकों के लिए सामाजिक अशांति और आर्थिक कठिनाई पैदा हो सकती है।
- **शोषण:** असमान शक्ति गतिशीलता विकासशील देशों में श्रम शोषण को जन्म दे सकती है, जहां निगम ढीले नियमों और कम वेतन का लाभ उठा सकते हैं। इससे नैतिक चिंताएँ बढ़ती हैं और निष्पक्ष श्रम प्रथाएँ कमजोर होती हैं।
- **वित्तीय अस्थिरता:** वित्तीय बाजारों की परस्पर संबद्धता संकटों को बढ़ा सकती है, जिससे वैश्विक मंदी तेजी से फैल सकती है और व्यापक क्षति हो सकती है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नियामक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

पर्यावरणीय प्रभाव

- **संसाधन का क्षरण:** संसाधनों की वैश्वीकृत मांग से प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, वनों की कटाई और पर्यावरणीय गिरावट हो सकती है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और दीर्घकालिक स्थिरता को खतरा है।
- **प्रदूषण:** वैश्वीकरण से जुड़े उत्पादन और परिवहन में वृद्धि से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और वायु और जल प्रदूषण का उच्च स्तर उत्पन्न होता है। यह जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है।
- **कचरे का प्रबंधन:** वस्तुओं का वैश्वीकृत प्रवाह कचरे का पहाड़ बनाता है, विशेष रूप से प्लास्टिक प्रदूषण, जो विशेष रूप से विकासशील देशों में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के लिए चुनौतियाँ पैदा करता है।

सांस्कृतिक समरूपीकरण

- **विविधता का नुकसान:** वैश्वीकरण से पश्चिमी संस्कृति का प्रभुत्व हो सकता है, स्थानीय परंपराओं, भाषाओं और पहचानों पर प्रभाव पड़ सकता है और वे हाशिए पर जा सकते हैं। यह समरूपीकरण सांस्कृतिक समृद्धि को नष्ट कर सकता है और रचनात्मकता को दबा सकता है।
- **व्यावसायीकरण:** वैश्विक बाजार अक्सर रुझानों और प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है, जिससे संस्कृति का वस्तुकरण होता है और प्रामाणिकता पर सामूहिक अपील को प्राथमिकता दी जाती है। यह सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के आंतरिक मूल्य को कमजोर कर सकता है।
- **सामाजिक तनाव:** तेजी से सांस्कृतिक परिवर्तन नए मानदंडों और मूल्यों को अपनाने के लिए संघर्ष कर रहे समुदायों के भीतर प्रतिरोध और सामाजिक तनाव पैदा कर सकता है। इससे संघर्ष पैदा हो सकता है और सामाजिक एकता में बाधा आ सकती है।

शासन की चुनौतियाँ

- **विनियमन:** विविध हितों और प्राथमिकताओं वाली वैश्वीकृत दुनिया को विनियमित करना जटिल है। खंडित अंतरराष्ट्रीय संस्थान और अलग-अलग राष्ट्रीय नियम खामियां पैदा कर सकते हैं और प्रभावी निरीक्षण में बाधा डाल सकते हैं।
- **कर की चोरी:** बहुराष्ट्रीय निगम विभिन्न देशों में कर प्रणालियों में खामियों का फायदा उठा सकते हैं, जिससे सरकारों को बहुत जरूरी राजस्व से वंचित होना पड़ सकता है। यह सार्वजनिक सेवाओं को कमजोर करता है और असमानताओं को बढ़ाता है।
- **जवाबदेही:** वैश्विक संदर्भ में निगमों और सरकारों जैसे शक्तिशाली अभिनेताओं को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह पारदर्शिता, शक्ति की गतिशीलता और जिम्मेदार व्यवहार सुनिश्चित करने के बारे में सवाल उठाता है।
- **निष्कर्षत:** जबकि वैश्वीकरण अपार अवसर प्रदान करता है, यह सीमाएँ भी प्रस्तुत करता है जिन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए और संबोधित करना चाहिए। निष्पक्ष व्यापार, टिकाऊ प्रथाओं, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और प्रभावी वैश्विक शासन को बढ़ावा देकर, हम वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों को कम करते हुए इसकी सकारात्मक क्षमता का दोहन करने का प्रयास कर सकते हैं। केवल सचेत प्रयासों के माध्यम से ही हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वैश्वीकरण से सभी को लाभ हो और अधिक न्यायसंगत, टिकाऊ और समावेशी भविष्य को बढ़ावा मिले।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

एमएसएमई क्या हैं?

- एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के तहत विनियमित किया जाता है। एमएसएमई का प्रबंधन एमएसएमई मंत्रालय के तहत किया जाता है। इससे पहले, एमएसएमई को संयंत्र और मशीनरी/उपकरण में निवेश की गई राशि के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। जुलाई 2020 से प्रभावी संशोधित नियमों के साथ, वार्षिक कारोबार को भी एक मानदंड के रूप में जोड़ा गया है।

वर्गीकरण मानदंड हैं–

- **सूक्ष्म उद्यम:** प्लांट और मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपये से कम है और वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से कम है।
- **लघु उद्यम:** संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 10 करोड़ रुपये से कम है और वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपये से कम है।
- **मध्यम उद्यम:** प्लांट और मशीनरी या उपकरण में निवेश 50 करोड़ रुपये से कम है और वार्षिक कारोबार 250 करोड़ रुपये से कम है।

Definition of MSMEs - Comparison				
	2006 Act		June 2020 (Cabinet approval)	
Type	Manufacturing	Services	Both (Manufacturing & Services)	
Criteria	Investment in ₹		Investment in ₹	Turnover in ₹
Micro	Up to 25 lakh	Up to 10 lakh	1 crore	5 crore
Small	25 Lakh-5 crore	10 lakh – 2 Crore	1 crore – 10 crore	5 crore-50 crore
Medium	5 crore – 10 crore	2 crore – 5 crore	10 crore-50 crore	50 crore-250 crore

वैधानिक निकाय

एमएसएमई मंत्रालय 5 वैधानिक निकायों का प्रमुख है–

1. **खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC):** यह एक वैधानिक संगठन है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने और विकसित करने में लगा हुआ है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।
2. **कॉयर बोर्ड:** यह कॉयर उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देने और उद्योग में श्रमिकों की जीवन स्थितियों में सुधार के लिए स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
3. **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी):** इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। यह आम तौर पर वाणिज्यिक आधार पर देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने, सहायता करने और बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है।
4. **राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, (एनआई-एमएसएमई):** इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। यह उद्यम संवर्धन और उद्यमिता विकास, उद्यम निर्माण को सक्षम करने, नीति निर्माण के लिए नैदानिक विकास अध्ययन करने आदि के लिए जिम्मेदार है।
5. **महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमजीआई आरआई):** महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमजीआईआरआई) का उद्देश्य टिकाऊ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ग्रामीण औद्योगीकरण में तेजी लाना, पारंपरिक कारीगरों को सशक्त बनाना, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके वैकल्पिक प्रौद्योगिकी के लिए पायलट अध्ययन और अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करना है।

❖ ये निकाय सरकारी योजनाओं और नीतियों के संबंध में एमएसएमई को सहायता देने के लिए जिम्मेदार हैं।

एमएसएमएसई का महत्व

❖ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ हैं, जो रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें अक्सर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए 'विकास का इंजन' कहा जाता है, और अच्छे कारण से भी। यहां बताया गया है कि एमएसएमई इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं:

आर्थिक प्रभाव

❖ **रोजगार निर्माण:** वैश्विक स्तर पर, विशेष रूप से विकासशील देशों में, अधिकांश नौकरियों के लिए एमएसएमई जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए, भारत में, एमएसएमई के पास 11 करोड़ से अधिक नौकरियां हैं, या कुल कार्यबल का लगभग 40%। यह रोजगार सृजन गरीबी को कम करता है, सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देता है और देश की समग्र समृद्धि में योगदान देता है।

❖ **उद्यमिता और नवाचार:** एमएसएमई उद्यमशीलता का केंद्र हैं, जहां व्यक्ति रचनात्मकता और अपना खुद का कुछ बनाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। यह नवाचार और नए उत्पादों, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देता है जो स्थानीय जरूरतों को पूरा करते हैं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में योगदान करते हैं।

❖ **जीडीपी योगदान:** देश की जीडीपी में एमएसएमई का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में, वे सकल घरेलू उत्पाद में अनुमानित 30-35% योगदान करते हैं। यह आर्थिक शक्ति उन्हें औद्योगिक विकास चलाने, अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और बड़े निगमों पर निर्भरता कम करने में सक्षम बनाती है।

सामाजिक प्रभाव

❖ **गरीबी घटाना:** रोजगार और आय-सृजन के अवसर प्रदान करके, एमएसएमई व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाते हैं, उन्हें गरीबी से बाहर निकालते हैं। इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है, जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में सुधार होता है।

❖ **सशक्तिकरण और समावेशन:** एमएसएमई महिलाओं, युवाओं और अल्पसंख्यकों जैसे हाशिए पर रहने वाले समूहों को अर्थव्यवस्था में भाग लेने के अवसर प्रदान करते हैं। यह सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देता है, असमानताओं को कम करता है और लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है।

❖ **सामुदायिक विकास:** एमएसएमई अक्सर अपने समुदायों में गहराई से निहित होते हैं, स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करते हैं, स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से सामग्री प्राप्त करते हैं और स्थानीय बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान देते हैं। यह समुदायों को मजबूत करता है और साझा स्वामित्व और प्रगति की भावना पैदा करता है।

वैश्विक प्रभाव

❖ **निर्यात क्षमता:** एमएसएमई तेजी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात कर रहे हैं जो स्थानीय संस्कृतियों को प्रतिबिंबित करती हैं और विशिष्ट बाजारों की पूर्ति करती हैं। यह विविधीकरण और विस्तार वैश्विक व्यापार वृद्धि और आर्थिक अंतर्संबंध में योगदान देता है।

❖ **सतत विकास:** एमएसएमई टिकाऊ प्रथाओं, पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाने, अपशिष्ट को कम करने और जिम्मेदार उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के चौंपियन हो सकते हैं। यह वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में योगदान देता है।

❖ **लचीलापन और अनुकूलनशीलता:** एमएसएमई अक्सर बड़े निगमों की तुलना में अधिक चुस्त और अनुकूलनीय होते हैं, जो बदलती बाजार मांगों और स्थानीय जरूरतों का तुरंत जवाब देने

में सक्षम होते हैं। यह लचीलापन उन्हें वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से निपटने और दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है।

- **निष्कर्षतः** एमएसएमई केवल छोटे व्यवसाय नहीं हैं; वे आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और वैश्विक विकास के शक्तिशाली चालक हैं। उनके महत्व को पहचानकर और उनकी सफलता को बढ़ावा देकर, हम सभी के लिए अधिक समावेशी, न्यायसंगत और टिकाऊ भविष्य बना सकते हैं।

एमएसएमई के समक्ष चुनौतियाँ

- एमएसएमई को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके विकास और प्रभाव में बाधा आती है। यहां कुछ प्रमुख बाधाएं हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है:

वित्तीय बाधाएं

- **पूंजी तक सीमित पहुंचः** एमएसएमई अक्सर संपार्श्विक की कमी, अपर्याप्त क्रेडिट इतिहास और जटिल ऋण आवेदन प्रक्रियाओं के कारण ऋण सुरक्षित करने के लिए संघर्ष करते हैं। इससे उनकी निवेश, विस्तार और प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता सीमित हो जाती है।
- **नकदी प्रवाह प्रबंधनः** आय में उतार-चढ़ाव, विलंबित भुगतान और उच्च परिचालन लागत उनके नकदी प्रवाह को प्रभावित कर सकती है, जिससे वित्तीय दायित्वों को पूरा करना और विकास में निवेश करना मुश्किल हो जाता है।
- **अप्रभावी ब्याज दरेंः** ऋणों पर उच्च-ब्याज दरें मुनाफे को काफी हद तक खा सकती हैं, उनकी वित्तीय व्यवहार्यता को कम कर सकती हैं और आवश्यक निवेशों के लिए उधार लेने को हतोत्साहित कर सकती हैं।

बाजार पहुंच

- **बड़े निगमों से प्रतिस्पर्धाः** एमएसएमई अक्सर अधिक संसाधनों, ब्रांड पहचान और मार्केटिंग बजट वाले स्थापित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। इससे अलग दिखना, ग्राहकों को आकर्षित करना और बाजार हिस्सेदारी सुरक्षित करना मुश्किल हो जाता है।
- **सीमित पहुंचः** एमएसएमई के पास अपने निकटतम इलाके से परे लक्षित बाजारों तक प्रभावी ढंग से पहुंचने के लिए संसाधनों या विशेषज्ञता की कमी हो सकती है, जिससे उनकी विकास क्षमता में बाधा आ सकती है।
- **अनुचित व्यापार प्रथाएँः** शिकारी मूल्य निर्धारण, प्रतिबंधात्मक व्यापार नीतियां और बड़े खुदरा विक्रेताओं का प्रभुत्व एमएसएमई को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे असमान खेल का मैदान बन सकता है।

परिचालन चुनौतियाँ

- **प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे की कमीः** प्रौद्योगिकी, स्वचालन और विश्वसनीय बिजली और परिवहन जैसे कुशल बुनियादी ढांचे तक सीमित पहुंच उत्पादकता, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता में बाधा बन सकती है।
- **अकुशल कार्यबलः** कुशल कर्मचारियों को ढूंढना और उन्हें बनाए रखना एमएसएमई के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर विशिष्ट क्षेत्रों में। इससे उभरती प्रौद्योगिकियों और बाजार की माँगों के अनुरूप ढलने की उनकी क्षमता में बाधा आ सकती है।
- **विनियामक बोझः** जटिल और लगातार बदलते नियम, अनुपालन आवश्यकताएं और नौकरशाही प्रक्रियाएं एमएसएमई के लिए समय लेने वाली और महंगी हो सकती हैं, जिससे संसाधनों को मुख्य संचालन से हटा दिया जा सकता है।

अन्य चुनौतियाँ

- **व्यवसाय सहायता सेवाओं तक सीमित पहुंचः** एमएसएमई के पास प्रशिक्षण, सलाह और परामर्श जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच की कमी हो सकती है, जो उन्हें चुनौतियों से निपटने और आगे बढ़ने के लिए कौशल और ज्ञान से लैस कर सकती है।
- **सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँः** सामाजिक पूर्वाग्रह, उद्यमशीलता के अवसरों के बारे में जागरूकता की कमी और शिक्षा तक सीमित पहुंच व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं और अल्पसंख्यकों को एमएसएमई शुरू करने या चलाने से हतोत्साहित कर सकती है।
- **वैश्विक संकटों का प्रभावः** एमएसएमई अक्सर महामारी, आर्थिक मंदी और भू-राजनीतिक संघर्ष जैसे बाहरी झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान, मांग में उतार-चढ़ाव और वित्तीय अस्थिरता का अनुभव करते हैं।
- इन चुनौतियों से निपटने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सरकारें, वित्तीय संस्थान, विकास संगठन और यहां तक कि बड़े निगम भी एमएसएमई के लिए अधिक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में भूमिका निभा सकते हैं। इसमें शामिल हो सकता है:
- **वित्त तक पहुंच को सुगम बनानाः** अनुरूप ऋण योजनाएं प्रदान करना, आवेदन प्रक्रियाओं को सरल बनाना और उद्यम पूंजी और एंजेल निवेशकों जैसे वैकल्पिक फंडिंग विकल्पों को बढ़ावा देना।
- **बाजार पहुंच बढ़ानाः** एमएसएमई के लिए अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए मंच बनाना, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी का समर्थन करना और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देना।
- **कौशल विकास में निवेशः** प्रतिस्पर्धा और अनुकूलन के लिए एमएसएमई को आवश्यक विशेषज्ञता से लैस करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, कौशल-निर्माण कार्यशालाएं और प्रशिक्षुता प्रदान करना।
- **नियमों का सरलीकरणः** अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान करना और एमएसएमई को नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए सहायता सेवाएं प्रदान करना।
- **प्रौद्योगिकी अपनानाः** दक्षता, पहुंच और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों, स्वचालन उपकरण और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को अपनाने के लिए एमएसएमई को प्रोत्साहित और प्रोत्साहित करना।
- **परामर्श और समर्थन को बढ़ावा देनाः** एमएसएमई को मार्गदर्शन, संसाधन और सहकर्मी से सहकर्मी सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम, बिजनेस इनक्यूबेटर और समर्थन नेटवर्क स्थापित करना।
- एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करके और उन्हें संबोधित करने के लिए ठोस कार्रवाई करके, हम

दुनिया भर में समावेशी आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सतत विकास को चलाने के लिए इन उद्यमशीलता इंजनों को सशक्त बना सकते हैं।

एमएसएमई के समर्थन में पहल

1. **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम:** केवीआईसी द्वारा कार्यान्वित इस योजना का उद्देश्य नए स्वरोजगार उद्यम/परियोजनाएं/सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। कार्यक्रम का उद्देश्य संभावित कारीगरों और बेरोजगार युवाओं को निरंतर स्थायी रोजगार प्रदान करना और कारीगरों की वेतन-अर्जन क्षमता में वृद्धि करना और ग्रामीण और शहरी रोजगार के विकास में योगदान देना है।
2. **क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना:** इसका उद्देश्य निर्दिष्ट 51 में अच्छी तरह से स्थापित और बेहतर प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए 15% की पूंजी सब्सिडी (उनके द्वारा प्राप्त 1 करोड़ रुपये तक के संस्थागत वित्त पर) प्रदान करके एमएसई (सूक्ष्म और लघु) के बीच प्रौद्योगिकी उन्नयन की सुविधा प्रदान करना है। उप-क्षेत्र/उत्पाद।
3. **सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटीएमएसई):** यह सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र को संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करता है।
4. **विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (एससीएल सीएसएस):** यह योजना सेवा क्षेत्र के उद्यमों को विभिन्न प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगी। इसमें प्रौद्योगिकी उन्नयन पर किसी क्षेत्र विशेष प्रतिबंध के बिना एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसएमई को संस्थागत ऋण के माध्यम से संयंत्र और मशीनरी और सेवा उपकरणों की खरीद के लिए 25% पूंजी सब्सिडी देने का भी प्रावधान है।
5. **एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाना और तेज करना (आरएएमपी):** इस योजना का उद्देश्य केंद्र और राज्य में संस्थानों और शासन को मजबूत करना, केंद्र-राज्य संबंधों और साझेदारी में सुधार करना और बाजार और ऋण तक एमएसएमई की पहुंच में सुधार करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन और विलंबित भुगतान के मुद्दों को संबोधित करना और एमएसएमई को हरित बनाना है।
6. **मुद्रा ऋण योजना:** इसे गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करने के लिए अप्रैल, 2015 में लॉन्च किया गया था। इसमें 3 वित्तीय ऋण शामिल हैं: तरुण (10 लाख रुपये तक का ऋण), किशोर (5 लाख रुपये तक का ऋण), शिशु (50,000 रुपये तक का ऋण)
7. **नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना (एस्पायर):** इस योजना का उद्देश्य नई नौकरियां पैदा करना, देश में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना, एमएसएमई क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है।
8. **उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी):** इसके तहत, एमएसएमई मंत्रालय उद्यमियों के कौशल और ज्ञान में सुधार लाने और व्यावसायिक उद्यम को विकसित करने, प्रबंधित करने और व्यवस्थित करने की क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।
9. **पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जनन हेतु निधि योजना (स्फूर्ति):** इसका उद्देश्य पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को समूहों में संगठित करना है ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और उनकी दीर्घकालिक स्थिरता के लिए सहायता प्रदान की जा सके, ऐसे समूहों के उत्पादों की विपणन क्षमता में वृद्धि, नवीन उत्पादों का निर्माण, प्रौद्योगिकियों में सुधार आदि शामिल हैं। इस योजना में तीन प्रकार के हस्तक्षेप शामिल हैं, उदाहरण के लिए, नरम हस्तक्षेप जिसमें सामान्य जागरूकता, परामर्श, कौशल विकास आदि बनाने के लिए गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं; कठोर हस्तक्षेप जिसमें सामान्य सुविधा केंद्र, कच्चा माल बैंक आदि बनाना शामिल है; और ब्रांड निर्माण, न्यू मीडिया मार्केटिंग, ई-कॉमर्स पहल, अनुसंधान और विकास आदि पर विषयगत हस्तक्षेप।
10. **सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) योजना:** एमएसएमई मंत्रालय ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की उत्पादकता और प्रतिस्पधात्मिकता के साथ-साथ क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए एक प्रमुख रणनीति के रूप में क्लस्टर विकास दृष्टिकोण को अपनाया है। कार्यक्रम में सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) और बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं (आईडीपी) की स्थापना के लिए सहायता निधि जैसी गतिविधियां शामिल हैं।
11. **जेडईडी प्रमाणन में एमएसएमई को वित्तीय सहायता:** यह योजना एमएसएमई के बीच शून्य दोष और शून्य प्रभाव (जेडईडी) विनिर्माण को बढ़ावा देती है। यह एमएसएमई को उत्पादों और प्रक्रियाओं में अपने गुणवत्ता मानकों को लगातार उन्नत करने, गुणवत्ता वाले उपकरणों/प्रणालियों और ऊर्जा-कुशल विनिर्माण के अनुकूलन को बढ़ावा देने और शून्य दोष उत्पादन प्रक्रियाओं को अपनाकर और पर्यावरण को प्रभावित किए बिना विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उनके प्रमाणन के लिए जेडईडी मूल्यांकन प्रदान करता है।
12. **उद्यमी मित्र पोर्टल:** एमएसएमई को क्रेडिट और हैंडहोल्डिंग सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए सिडबी द्वारा लॉन्च किया गया।
13. **एमएसएमई संबंध:** केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा एमएसएमई से सार्वजनिक खरीद के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
14. **एमएसएमई समाधान** - एमएसएमई विलंबित भुगतान पोर्टल - देश भर के सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसई/राज्य सरकारों द्वारा विलंबित भुगतान से संबंधित अपने मामलों को सीधे दर्ज करने के लिए सशक्त बनाएगा।
15. **डिजिटल एमएसएमई योजना:** इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग शामिल है जहां एमएसएमई सामान्य और साथ ही अनुरूप आईटी बुनियादी ढांचे तक पहुंचने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं।
16. **राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) :** अपनी प्रक्रियाओं, डिजाइनों, प्रौद्योगिकी और बाजार पहुंच में सुधार करके भारतीय एमएसएमई के बीच वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता विकसित करना।

❐❐❐

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR